

यू.ओ. नोट

विषय:- डेयरी पदाधिकारियों के विरुद्ध आरोप के संबंध में।

संदर्भ:- आपका यू.ओ. नोट क्रमांक 411 दिनांक 11.08.2018 एवं 444 दिनांक
24.08.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित यू.ओ. नोट के क्रम में श्री पृथ्वी सिंह पवार, प्रबन्धक (एम.एण्ड पी), आरसीडीएफ को जालौर-सिरोही दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, को आरसीडीएफ के प्रतिनिधि के रूप में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 19770-87 दिनांक 11.07.2018 के द्वारा से हटाया जा चुका है। (प्रति संलग्न)
संलग्न:-उपरोक्तानुसार

(बृजेन्द्र राजोरिया)
संस्थागत विकास अधिकारी
EK

महाप्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासन),
आरसीडीएफ लि०, जयपुर

यू.ओ. नोट क्रमांक:एफ.14(274)/आरसीडीएफ/आईडी/2015/ 720
दिनांक - 25/8/2018

राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी
RAJASTHAN CO-OPERATIVE DAIRY

लिमिटेड
ION LIMITED

आरसीडीएफ/आईडी/एफ.14(274)/2016/ 19776-87

दिनांक: 11-07-18


आदेश

(राज्य सहकारी सोसायटी नियम 2003 के नियम सं. 32(1) एवं जिला दुग्ध संघ के उपनियम सं.-19.1(5) के अन्तर्गत)

राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के उपनियम संख्या-19.1(5) में वर्णित प्रावधानानुसार राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फ़ैडरेशन लि०, जयपुर द्वारा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के संचालक मण्डल/संस्थापना समिति/आमसभा की बैठकों में भाग लेने के लिए जारी पूर्व में आदेश क्रमांक 44010-66 दिनांक 17.01.2018 द्वारा जालौर-सिरोही जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. में श्री पी.एस. पंवार, प्रबन्धक (एम.एण्ड पी.), आरसीडीएफ, जयपुर को प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने हेतु मनोनीत किया गया था। अपरिहार्य कारणों से श्री पंवार के स्थान पर श्री महेश शर्मा, उप प्रबन्धक (एम.एण्ड पी.), आरसीडीएफ, जयपुर को प्रतिनिधि के रूप में जालौर-सिरोही जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के संचालक मण्डल/संस्थापना समिति/आमसभा की बैठकों में भाग लेने के लिए तुरन्त प्रभाव से मनोनीत किया जाता है।


मनोनीत अधिकारी-श्री महेश शर्मा यह भी ध्यान रखेंगे कि संचालक मण्डल/संस्थापन समिति/आमसभा की बैठक में ऐसा कोई निर्णय लिया जाता है जो संस्था/फ़ैडरेशन की स्थिति पर विपरीत प्रभाव डालता हो तथा राजस्थान सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 2001, नियम, 2003, संघ के उपनियम एवं आरसीडीएफ लिमिटेड के पूर्व प्रसारित दिशा-निर्देशों के विपरीत हो तो उन पर विमत टिप्पणी (Decent Note) दर्ज करावें एवं उसकी जानकारी से अधोहस्ताक्षरकर्ता को तत्काल अवगत करावेंगे।

यह आदेश प्रबन्ध संचालक महोदय, आरसीडीएफ, जयपुर के अनुमोदनोपरान्त जारी किये जाते हैं।


(बृजेन्द्र राजोरिया)
संस्थागत विकास अधिकारी

प्रतिनिधि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सहायक, अध्यक्ष, आरसीडीएफ, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध संचालक, आरसीडीएफ, जयपुर।
3. अतिरिक्त रजिस्ट्रार, आरसीडीएफ, जयपुर।
4. रागरत विभागाध्यक्ष, आरसीडीएफ, जयपुर।
5. अध्यक्ष, जालौर-सिरोही जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड।
6. प्रबंध संचालक, जालौर-सिरोही जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.।
7. श्री महेश शर्मा, उपप्रबन्धक (एम.एण्ड पी.), आरसीडीएफ, जयपुर को पालनार्थ।
8. श्री पी.एस. पंवार, प्रबन्धक (एम.एण्ड पी.), आरसीडीएफ, जयपुर को सूचनार्थ।
9. महाप्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासन), आपके यू.ओ. नोट क्रमांक 245 दिनांक 26.06.18 के क्रम में सूचनार्थ।
10. रक्षित पत्रावली।


संस्थागत विकास अधिकारी
C/C

"SARAS SANKUL", J.L.N. MARG, JAIPUR - 302 017

Phone No.2702501-508 ; Telefax 2700783 ; Website : www.saras.milkfed.coop
E-mail:managerbd_m@yahoo.com, toahredt@gmail.com